भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2801

जिसका उत्तर 05.12.2019 को दिया जाना है

सड़क दुर्घटनाएं

2801. श्री राजा अमरेश्वर नाईकः
डॉ॰ सुकान्त मजूमदारः
श्री दिव्येन्दु अधिकारीः
श्री भोला सिंहः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सड़कों पर प्रति दिन 56 पैदल यात्रियों की मौतें होती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2018 में देश में सड़क दुर्घटना के कारण होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 1.5 लाख हो गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अन्य उपायों के साथ-साथ गति नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करके इस प्रकार की मौतों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार दिल्ली-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग का 30 प्रतिशत कारों के लिए असुरक्षित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं; और

(च) देश में सड़क सुरक्षा में सुधार और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे अन्य संबंधित उपाय क्या हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख): सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले तीन कैलेंडर वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात 2016 से 2018 के दौरान सड़क प्रयोक्ताओं की श्रेणी के तहत मारे गए पैदलयात्रियों की कुल संख्या नीचे दी गई तालिका में हैं:-

वर्ष	**देश में सड़क प्रयोक्ता की श्रेणी के तहत मारे गए पैदलयात्री**
2016	15746
2017	20457
2018	22656

पिछले तीन कैलेंडर वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात 2015 से 2018 के दौरान सड़क उपयोगकर्ता की श्रेणी के तहत मारे गए पैदलयात्रियों की संख्या के संबंध में राज्य-संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग): सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2018 में कुल 1,51,417 लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाई। इसका राज्य-वार/केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(घ): मंत्रालय ने परिवहन वाहनों पर गति सीमित करने वाले उपकरणों के लगाने को अधिसूचित किया है। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 सड़क सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है और अन्य विषयों में, यातायात उल्लंघन के लिए दंड में अत्यधिक बढ़ोतरी और उसकी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, किशोर चालक के लिए दंड बढ़ाना, गोल्डन आवर के दौरान नगदी रहित उपचार, वाहन की फिटनेस और चालन का कम्प्यूटरीकरण / स्वचालन और परीक्षण, दोषपूर्ण वाहनों को हटाना, तीसरे पक्ष की देयता का दायरा बढ़ाना और हिट एंड रन मामलों के लिए बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान आदि इसमें शामिल हैं। मोटर यान (संशोधन) अधिनियम 2019 द्वारा ओवर स्पीडिंग के लिए जुर्माना भी काफी हद तक बढ़ाया गया है। संशोधन में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की स्थापना का भी प्रावधान है। संशोधन ने सड़क सुरक्षा परिदृश्य में सुधार और जीवन के नुकसान को कम करने के लिए कानून को मजबूत किया है।

मंत्रालय वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए विनियम जारी करता है, ब्लैक स्पोटों से निपटने के लिए स्थल विशिष्ट हस्तक्षेप करता है, और सड़क सुरक्षा समर्थन और जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ भी आयोजित करता है।

उपरोक्त के अलावा सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

i गुड स्मारिटन की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी करना।

ii राज्यों में आदर्श ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना।

iii स्वचालित प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस की जांच के लिए 24 परीक्षण और प्रमाणीकरण केंद्र की संस्वीकृति।

iv राजमार्ग प्रयोक्ताओं के लिए एक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है, जिसका नाम "सुखद यात्रा 1033" है। इससे राजमार्ग प्रयोक्ता दुर्घटनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के गड्ढों और अन्य सुरक्षा खतरों की शिकायत कर सकते हैं।

v राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क प्रयोक्ताओं के बीच सुरक्षित व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है।

vi सड़क सुरक्षा को योजना स्तर पर सड़क डिजाइन के एक अभिन्न भाग के रूप में बनाया गया है।

vii राष्ट्रीय राजमार्ग की चार लेनिंग के लिए शुरुआत को 15,000 पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) से घटाकर 10,000 पीसीयू कर दिया गया है।

viii मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोष निवारण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अभिनिर्धारित सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉटों के दोष निवारण के लिए विस्तृत प्राक्कलनों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों को तकनीकी अनुमोदन के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है।

ix दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्री सुविधाओं के लिए दिशानिर्देश भी सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को जारी कर दिए गए हैं।

x भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई) ने सड़क सुरक्षा संपरीक्षकों के लिए एक प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया है और 42 संपरीक्षकों के पहले बैच को प्रमाणित किया है।

xi माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार फाइल संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/309/2016 / एस एंड आर दिनांकित 06-04-2017 और 01-06-2017 के परिपत्र के माध्यम से शराब की दुकानें हटाना।

(ङ) और (च): अंतर्राष्ट्रीय सड़क मूल्यांकन कार्यक्रम (आई-आरएपी) संगठन ने दिल्ली-मुंबई गलियारे (विभाजित सड़क) के 1397.4 किमी का अध्ययन किया। आईआरएपी अध्ययन सड़क क्रॉस-सेक्शन और ज्यामिति के 50 से अधिक मापदंडों पर विचार करते हुए सड़क खंडों की स्टार रेटिंग प्रदान करता है। यह पाया गया कि 30% लंबाई 3-स्टार रेटिंग (जहां 5-स्टार का मतलब सबसे सुरक्षित और 1-स्टार का मतलब असुरक्षित है) से कम है। शहरी/अर्ध-शहरी क्षेत्रों या विकसित गांवों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को पैदल यात्री और एनएमटी सुविधाओं

की आवश्यकता होती है, जो अध्ययन के अनुसार नहीं हैं। इसके अलावा, यातायात 60 किमी प्रति घंटे से अधिक की

गति से चौराहों से गुजर रहा है। आई-आरएपी के अनुसार, दो गलियारों के लिए 100 किमी प्रति घंटे की डिज़ाइन गति के लिए, और 85 प्रतिशतक गति की परिचालन गति के आधार पर, 30% लंबाई वाली सड़कों को मोटर वाहनों के लिए असुरक्षित माना गया।

पीयूपी, सीयूपी, फुटपाथ, फुटओवर ब्रिज एवं पैदल यात्रियों के लिए अन्य सुविधाओं और ग्रेड सेप्रेटेड अन्य संरचनाओं आदि के प्रावधान, स्थल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एवं आईआरसी:एसपी:73-2018 ''पेव्ड शोल्डर सहित राजमार्गों को दो-लेन का बनाने के लिए विनिर्देशों और मानक के लिए मैनुअल'', आईआरसी:एसपी:84-2014 ''सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से राजमार्गों को चार-लेन का बनाने के लिए विनिर्देशों और मानकों के लिए मैनुअल'', आईआरसी:एसपी:87-2013 ''सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से राजमार्गों को छः-लेन का बनाने के लिए विनिर्देशों और मानकों के लिए मैनुअल'' में दिए गए प्रावधानों के अनुसार विकास परियोजनाओं के डिजाइन के अभिन्न हिस्से हैं। इसके अलावा, आईआरसी ने ''पैदल यात्रियों की सुविधाओं के लिए दिशानिर्देशों'' हेतु आईआरसी:103-2012 को भी प्रकाशित किया है।

अनुलग्नक -I

'सड़क दुर्घटनाएँ' के संबंध में श्री राजा अमरेश्वरा नाइक, डॉ. सुकांता मजूमदार, श्री दिबेंदु अधिकारी और श्री भोला सिंह द्वारा पूछे गए दिनांक 05.12.2019 के लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 2801 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित **अनुलग्नक**

कैलेंडर वर्ष 2018 6 से 2018 के दौरान सड़क उपयोगकर्ता की श्रेणी के तहत मारे गए पैदल-यात्रियों की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	2016	2017	2018
1	आंध्र प्रदेश	1251	1379	1569
2	अरुणाचल प्रदेश	0	3	8
3	असम	24	538	515
4	बिहार	200	769	756
5	छत्तीसगढ़	49	467	438
6	गोवा	59	47	49
7	गुजरात	697	985	1170
8	हरियाणा	1596	1071	1471
9	हिमाचल प्रदेश	214	171	182
10	जम्मू और कश्मीर	58	62	103
1 1	झारखंड	10	262	345
12	कर्नाटक	599	1054	1519
13	केरल	1246	1332	1250
14	मध्य प्रदेश	1627	1280	1504
15	महाराष्ट्र	2103	1831	2515
16	मणिपुर	4	15	21
17	मेघालय	32	46	25
18	मिजोरम	4	18	9
19	नगालैंड	1	5	7
20	ओडिशा	251	533	706
21	पंजाब	433	265	415
22	राजस्थान	898	863	1448
23	सिक्किम	3	10	3
24	तमिलनाडु	2966	3507	768
25	तेलंगाना	619	972	1093
26	त्रिपुरा	42	57	68
27	उत्तराखंड	18	127	146
28	उत्तर प्रदेश	284	1192	1366
29	पश्चिम बंगाल	72	1039	2618
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5	9	6
31	चंडीगढ़	38	32	35
32	दादरा और नगर हवेली	9	2	22
33	दमन और दीव	7	9	1 1
34	दिल्ली	250	423	420
35	लक्षद्वीप	1	0	0
36	पुडुचेरी	76	82	75

कुल	15,746	20457	22,656

अनुलग्नक -II

'सड़क दुर्घटनाएँ' के संबंध में श्री राजा अमरेश्वरा नाइक, डॉ. सुकांता मजूमदार, श्री दिबेंदु अधिकारी और श्री भोला सिंह द्वारा पूछे गए दिनांक 05.12.2019 के लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 2801 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित **अनुलग्नक**

वर्ष 2018 के दौरान भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	मारे गए लोग
1.	आंध्र प्रदेश	7556
2.	अरुणाचल प्रदेश	175
3.	असम	2966
4.	बिहार	6729
5.	छत्तीसगढ़	4592
6.	गोवा	262
7.	गुजरात	7996
8.	हरियाणा	5118
9.	हिमाचल प्रदेश	1208
10.	जम्मू और कश्मीर	984
11.	झारखंड	3542
12.	कर्नाटक	10990
13.	केरल	4303
14.	मध्य प्रदेश	10706
15.	महाराष्ट्र	13261
16.	मणिपुर	134
17.	मेघालय	182
18.	मिजोरम	45
19.	नगालैंड	39
20.	ओडिशा	5315
21.	पंजाब	4740
22.	राजस्थान	10320
23.	सिक्किम	85
24.	तमिलनाडु	12,216
25.	तेलंगाना	6603
26.	त्रिपुरा	213
27.	उत्तराखंड	1047
28.	उत्तर प्रदेश	22256
29.	पश्चिम बंगाल	5711
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	19
31.	चंडीगढ़	98
32.	दादरा और नगर हवेली	54
33.	दमन और दीव	35
34.	दिल्ली	1690
35.	लक्षद्वीप	1
36.	पुडुचेरी	226
	कुल	**151,417**

*****